

फर्द अहकाम
वेकड बनाम तस्लीमात व अरु

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुक्यालय-जयपुर
केस संख्या 12/2025

(डी. आर्.डी.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	08/12/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उपस्थित उपस्थित। अग्रार्थी 2 को जोत ले मूलवाक में बदलावनामा प्रस्तुत करे जवाब प्र. जा. ली. आर्.डी. की कक्षा चलाया हो अतः पत्रावली वापिस जवाब प्र. जा. ली. आर्.डी. अग्रार्थीगण 1, 2 दिनांक 21/02/25 को पेश हो।
	21/02/25	सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुक्यालय-जयपुर पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उपस्थित उपस्थित। अग्रार्थी - 2 (व 3) को मूलवाक में जवाब वापिस वाक प्राथमिक डिमी लिए जोत वाकत कृष्णाति के प्रस्तुत करे हस्तार प्रोपम ली. आर्.डी. वाकत जवाब प्रस्तुत नही फाजो-चरण वाकत कथन किमा गण्य हो अतः जवाब वाक किमा चला हो। पत्रावली वापिस अधिवक्तागणों व लुकाई अग्रुकार मूलवाक में प्राथमिक डिमी जारी हो।
	01/08/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उपस्थित उपस्थित। वरुण अर्थनामा ली. आर्.डी. पर सुनी गई। अधिवक्तागणों के अतिरिक्त व लुकाई अग्रुकार मूलवाक में प्राथमिक डिमी जारी हो।

फर्द अहकाम
वेकड बनाम तस्लीमात व अरु

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुक्यालय-जयपुर
केस संख्या 12/2025

(डी. आर्.डी.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विरोध विवरण
01/08/25	को जवाब है। हस्तगत अर्थनामा ली. आर्.डी. के संदर्भ में अग्रार्थीगण सं. 02 व 03 उचित कोर्ट अनुतोष नहीं चाहा गया है, जापित अग्रार्थी-01 तस्लीमातदार कोर्ट गगन-ऊ विरुद्ध अनुतोष चाहा गया है। जो प्रस्तुत मूलवाक के अर्थों में पर निम्न विषय पर आधारित है। जिसे संदर्भ में कोर्ट/कमिशन को साक्ष्य/दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि एक कार्यपालक संस्था के रूप में तस्लीमातदार द्वारा सूझम भेदिनी को विरुद्ध अकेला अग्रुकार विद्वान्मित्री सम्पादन नाम की जाती है। अतः ऐसी स्थिति में सूझम साक्ष्य के अभाव में कथन नाम के आधार पर अर्थनामा घोषणीय नहीं होगा से खारिज किया जाता है। किर्णिय सुनाया गया। पत्रावली फेरुल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। वाक तस्लीमात दाविल 24/02/25	
	सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुक्यालय-जयपुर	

